



2026:AHC-LKO:20800

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1820 / 2026

रहमतुल्लाह

आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से प्रमुख सचिव गृह लखनऊ उत्तर प्रदेश

प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: विशाल कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार दुबे, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता; जिन्होंने आज प्रति-शपथपत्र दाखिल किया है, जिसे अभिलेख (रिकॉर्ड) में ले लिया गया है तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन किया।
2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार यह आरोप है कि आवेदक और उसके भाई ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर फर्जी चेक के माध्यम से स्वर्गीय मोहम्मद यूनुस की पूरी जमा राशि निकाल ली तथा गबन कर लिया। अभियुक्त-आवेदक से पूछताछ करने पर, शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि कथित घटना वर्ष 2018 की है। प्राथमिकी 2022 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन के माध्यम से बिना किसी वजह के, देरी से दर्ज की गई थी। आवेदक ने आज दाखिल किए गए अनुपूरक शपथ-पत्र में छह मामलों का आपराधिक इतिहास बताया है, जिसे अभिलेख (रिकॉर्ड) में ले लिया गया है। आवेदक दिनांक 18.1.2026 से कारागार में है।

उन्होंने आगे दलील दी कि यह विवाद पूरी तरह से दीवानी मामला है, जिसे दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है।

यह भी कहा गया है कि आवेदक के जमानत पर रिहा होने के बाद भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह माना है कि दोनों पक्षों के बीच झगड़ा आपसी सहमति से सुलझ गया है। इस बारे में शिकायतकर्ता ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है, जिसे प्रति-शपथपत्र के साथ अनुलग्नक संख्या सीए-1 के तौर पर संलग्न किया गया है।

5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह तथ्य कि आवेदक ने आपराधिक इतिहास बताया है, ऊपर बताये गए पक्षों के बीच हुआ समझौता, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक जिस अवधि से कारागार में है तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, मुझे लगता है कि यह आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

6. आवेदक रहमतुल्लाह, जो वाद अपराध संख्या 0251/2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 352, 419, 420, 467, 468, 471, थाना तुलसीपुर, जिला बलरामपुर के अंतर्गत शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्वीय बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभुओं को देने पर जमानत पर रिहा किया जाये, न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तों के साथ :-

- (i) आवेदक, विचारण (ट्रायल) के दौरान अभियोजन के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक, अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराया नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में मौजूद हों, तो वह साक्ष्य हेतु तय दिनांकों पर कोई स्थगन की मांग नहीं करेगा और वह विचारण न्यायालय द्वारा तय हर दिनांक पर उपस्थित रहेगा। इस शर्त को न मानने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश दे सकता है।

अन्य कोई शर्त, जो विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त एवं उचित समझे, वह भी लगाई जा सकती है।

7. तदनुसार, आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां सिर्फ मौजूदा जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं तथा विचारण (ट्रायल) के गुण-दोष पर इसका कोई असर नहीं रहेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

23 मार्च, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।